

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनुपपहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 1836/14-1, दिनांक:अलीगढ़:दिसम्बर 17, 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा एटा-अलीगंज रोड़ (एम0डी0आर0-98) किमी0 25.118 पर दौंयी पटरी पर स्थित ग्राम राजपुर के खसरा सं0-171 तहसील व जिला-एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.065336 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में।


महोदय,

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा एटा-अलीगंज रोड़ (एम0डी0आर0-98) किमी0 25.118 पर दौंयी पटरी पर स्थित ग्राम राजपुर के खसरा सं0-171 तहसील व जिला-एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.065336 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक 1174/14-1, दिनांक 07.12.2015 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव के भाग-3 पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, समदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 1174/14-1, दिनांक 07.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- विक्रय अधिकारी एस्सार आयल लिमिटेड, ए-5, सैक्टर-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा करा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद एटा में एटा-अलीगंज मार्ग किमी0 चैनेज 25.118 की दांयी पटरी पर ग्राम राजपुर के खसरा सं0-171 में एस्सार आयल लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:-17.12.2015

स्थान:-अलीगढ़।


(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।